



# बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : [www.bsea.bih.nic.in](http://www.bsea.bih.nic.in)

पत्रांक : नि० प्रा०/विधि० 1-105/2017 1011 /पटना, दिनांक 13-10-2017  
प्रेषक,

फूल सिंह,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0),  
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)  
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)।

विषय : व्यापार मंडल सहयोग समितियों की प्रबंधकारिणी कमिटी का निर्वाचन 2017 के संदर्भ में  
मार्गदर्शन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कई जिलों एवं प्रखण्ड से यह मार्ग दर्शन की मांग की जा रही है कि यदि नामांकन अथवा नाम वापसी के पश्चात यह स्थिति उत्पन्न होती है कि प्रबंध समिति का कोरम पूर्ण नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में कौन सी कार्रवाई की जाय। साथ ही यदि मतदाता निरक्षर है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा मतपत्र पर (✓) का चिन्ह कैसे अंकित किया जायेगा।

2. प्राधिकार के पत्रांक 921 दिनांक 22.09.2017 द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यदि नामांकन अथवा नाम वापसी के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यापार मंडल सहयोग समिति की प्रबंधकारिणी कमिटी के चुनाव में कोरम का अभाव है तो चुनाव उसी स्थिति पर रोक दिया जायेगा और उसकी सूचना प्राधिकार को दी जायेगी। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जिन व्यापार मंडलों में चुनाव कोरम के अभाव में स्थगित होगा, वहा निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी से चुनाव के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नये सिरे से कोरम के अभाव में स्थगित व्यापार मंडलों के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। साथ ही जिन मतदान केन्द्रों पर निरक्षर मतदाता होंगे, उनके साथ दस-बारह वर्ष के साक्षर छात्र को जाने की अनुमति दी जा सकती है। जिला सहकारिता पदाधिकारी समेकित रूप से कोरम के अभाव में स्थगित व्यापार मंडलों की सूची प्राधिकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) कृपया प्राधिकार के उपर्युक्त निर्णय से अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को अविलम्ब अवगत करा देंगे।

विश्वासभाजन

१३.१०.१८

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।